फर्द अहकाम

नियम 26

ज अदालत..........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ....मुकाम..................भादरा...

.... गिरधारीलाल आदि ....बनाम.................. सुरेशकुमार ....

स्म मुकदमा............212 आर.टी.ए. ....न० ....54/18...सन्............... 2018...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26.06.2018	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया। रिर्पोट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थी के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 09.07.2018 तक जारी की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 196/172 के खसरा न0 122 की कुल 2.719 है0 बारानी कृषि वादभूमि को रहन, बैय व अन्तरण ना करें। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2018 को पेश है। Rw	
19/7/18	पत्रावली प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बाहमी राजीनामा होना व इसी स्टेज पर धारा 212 RTAct विड्रा करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 26-6-18 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी का विड्रा की जाती है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो Rw	गिरधारी मोतीलाल पहचानकर्ता 19.7.201

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)